(150)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक–सी–3/17/1/3/2010 भोपाल, दिनांक 13 जनवरी, 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः– शासकीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुकम्पा नियुक्ति बाबत्.

संदर्भः– इस विभाग का ज्ञाप क्र. सी–3/4/1/3/06, दिनांक 18.08.2008.

संदर्भित ज्ञापन द्वारा शासकीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर उसके परिवार के आश्रित सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त ज्ञापन की कंडिका–3.2 के अनुसार शासकीय सेवक की मृत्यु दिनांक से 07(सात) वर्ष तक पद उपलब्ध होने पर ही उसके आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता है। यह प्रावधान अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में ज्ञापन क्र. सी–3–7/2000/3/एक, दिनांक 13 दिसम्बर 2001 द्वारा जारी निर्देश में भी था। विभिन्न प्रकरणों में ध्यान में आया है कि अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों में कार्यालय स्तर से प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण 07 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के फलस्वरूप अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण अमान्य/नस्तीबद्ध कर दिये गये थे, जबकि इसमें आवेदक का कोई दोष नहीं था।

2/ शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि दिनांक 13.12.2001 के पश्चात् दिवंगत हुये शासकीय सेवकों के परिवार के पात्रता रखने वाले ऐसे आवेदक जिन्हें 07 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के कारण अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दी जा सकी है उनको दिनांक 31.12.2011 तक अनुकम्पा नियुक्ति हेतु नवीन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए। अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :–

(i) अनुकम्पा नियुक्ति के लिये जिस कार्यालय में आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाये वह कार्यालय सबसे पहले यह परीक्षण करे कि आवेदक तृतीय श्रेणी कार्यपालिक/तृतीय श्रेणी लिपिकीय/चतुर्थ श्रेणी में से किस पद के लिये अर्ह है।

(ii) यदि आवेदित कार्यालय में पात्रता अनुसार पद रिक्त है, तो उसे अनुकम्पा नियुक्ति आरक्षण के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये दी जाये।

(iii) यदि आवेदित कार्यालय में पद रिक्त नहीं है तो आवेदक को पात्रतानुसार तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र के पदों को छोड़कर)/तृतीय

श्रेणी लिपिक/चतुर्थ श्रेणी जिसकी भी पात्रता हो का उल्लेख करते हुये प्रकरण जिला कलेक्टर को प्रेषित किया जाये।

(iv) आवेदक को तृतीय श्रेणी लिपिक अथवा चतुर्थ श्रेणी में से जिस पद पर नियुक्ति की पात्रता है उस पद पर जिला कलेक्टर आवेदक को जिले में ही किसी भी विभाग में रिक्त लिपिक/चतुर्थ श्रेणी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति देंगे। जिले में तृतीय श्रेणी के जिस पद की आवेदक की पात्रता हो, के अनुसार पद रिक्त न होने पर आवेदक की शैक्षणिक योग्यता के अनुसार संविदा शाला शिक्षक वर्ग–3 अथवा वर्ग–2 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु जिले में रिक्त पद एवं आरक्षण के मान से संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को निर्देश जारी करेंगे। कलेक्टर के निर्देश पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति दी जाएगी। यदि आवेदक संविदा शाला शिक्षक वर्ग–3 अथवा वर्ग–2 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति स्वीकार नहीं करता है तो आवेदक का अनुकम्पा नियुक्ति का आवेदन सदैव के लिए नस्तीबद्ध कर दिया जाएगा।

(v) यदि आवेदक चतुर्थ श्रेणी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता रखता है और जिले में किसी भी विभाग में पद रिक्त नहीं है तो सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित ज्ञाप दिनांक 18.08.2008 की कंडिका 10.6 अनुसार प्रकरण का निराकरण किया जाएगा।

3/ शासन के समस्त विभागों/जिला कलेक्टरों द्वारा अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्षों से जानकारी प्राप्त कर दिनांक 31.06.2011 तक इस आशय का प्रमाण पत्र सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा कि दिनांक 13.12.2001 के पश्चात् दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति दिए जाने वाले ऐसे प्रकरण जो 07 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के कारण अमान्य/निरस्त कर दिए गए हैं, उन सभी आवेदकों को इस निर्देश की प्रति संलग्न कर नए सिरे से आवेदन करने हेतु सूचित कर दिया गया है।

4/ अनुकम्पा नियुक्ति के लिये प्राप्त पुर्नविचार के उपरोक्त नवीन आवेदन पत्रों का निराकरण दिनांक 30.06.2012 तक अनिवार्य रूप से किया जायेगा। दिनांक 01.07.2012 को समस्त कलेक्टर्स/विभागाध्यक्ष/भारसाधक सचिव द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि इस श्रेणी के समस्त प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया है। दिनांक 30.06.2012 के पश्चात् पूर्ववत् 07 वर्ष की समयावधि का प्रावधान लागू हो जायेगा।

5/ उपरोक्त निर्देशों का व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(विजया श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक–सी–3/17/1/3/2010 भोपाल, दिनांक 13 जनवरी, 2011

प्रतिलिपि :–

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश जबलपुर
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश भोपाल
3. सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी मध्य प्रदेश भोपाल
5. राज्यपाल के सचिव, मध्य प्रदेश राजभवन भोपाल
6. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, मुख्य मंत्री सचिवालय, मध्य प्रदेश, भोपाल
8. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, मध्य प्रदेश भोपाल
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्य प्रदेश भोपाल
10. सचिव, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
11. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, मध्य प्रदेश भोपाल
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खण्ड पीठ इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर
13. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर/भोपाल
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल
15. उप सचिव/अवर सचिव/स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय।
16. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल
17. आयुक्त जनसम्पर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल
18. सचिव, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग निर्वाचन भवन द्वितीय मंजिल भोपाल
19. अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति भोपाल
20. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ भोपाल।

13/1/2011

(अकीला हशमत)
उप सचिव